



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 फाल्गुन 1942 (श०)
(सं० पटना 145) पटना, बुधवार, 3 मार्च 2021

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

आदेश

2 मार्च 2021

कार्यालय आदेश संख्या-09—सहायक श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर (मु०), बेतिया, पश्चिम चम्पारण के पत्रांक-04 दिनांक- 06.01.2021 के माध्यम से दिनांक-03.09.2020 को जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के अध्यक्षता में आहूत जिला अनुकम्पा समिति के बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-129, दिनांक-12.12.2020 की छायाप्रति संलग्न करते हुए सूचित किया गया है कि स्व० बैद्यनाथ बैठा, भूतपूर्व अनुसेवक, सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, बेतिया के आश्रित पुत्र-श्री अनिल कुमार चौधरी की समूह-‘ग’ के पद पर अपुनरीक्षित वेतनमान 5200-20,200/-, ग्रेड पे-1900/- एवं पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-2 में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है।

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्री अनिल कुमार चौधरी की समूह-‘ग’ निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान 19,900-63,200/- में (लेवल-2 मूल वेतन रू० 19,900/-) में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए **श्रम अधीक्षक का कार्यालय, सीतामढ़ी** में पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री अनिल कुमार चौधरी की जन्म तिथि-21.11.1993 है।

3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

4. श्री अनिल कुमार चौधरी पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतये होगा।

5. श्री अनिल कुमार चौधरी को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं दहेज लेन-देन संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
7. यह नियुक्ति श्री अनिल कुमार चौधरी द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों को सही मानकर किया जा रहा है। भविष्य में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलायी जा सकती है।
8. श्री अनिल कुमार चौधरी को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पत्ति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।
9. श्री अनिल कुमार चौधरी को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं हैं एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है।
 - (i) साथ ही इस आशय का भी शपथ-पत्र समर्पित करेंगे कि मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजात सही हैं। जाँच के क्रम में गलत पाये जाने पर आपराधिक मामलों दर्ज किये जायेंगे तथा भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।
10. श्री अनिल कुमार चौधरी पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक-17 नवम्बर, 2005, संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक-03.07.2007) प्रभावी/लागू होगा।
11. श्री अनिल कुमार चौधरी को नियुक्ति के उपरांत संवर्ग नियमावली में निहित प्रावधानों के आलोक में परिवीक्षा अवधि में टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा एवं अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
12. श्री अनिल कुमार चौधरी आदेश निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
13. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक-01 अप्रैल, 2003 के प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।

आदेश से,
रंजिता,
श्रमायुक्त ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 145-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>